

**रायपुर (छत्तीसगढ़) में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर  
2४ की ओर रनवे विस्तार, एप्रोन के प्रसार और सम्बद्ध  
कार्यों के लिए ईआईए / ईएमपी**

**का**

**कार्यकारी सारांश**

**भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**

**एनएबीइटी प्रमाणित पर्यावरण कंसलटेंट**

**ए.बी.सी टेक्नोलैब्स इंडिया प्रा. लि.**

## कार्यकारी सारांश

### 0.1 परिचय

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित एयरपोर्ट है। वर्तमान में, पी.सी.एन 50 /एफ/बी/डब्ल्यू/टी के साथ एयरपोर्ट के रनवे की परिमाप 2286 मी × 45 मी है, जो कि ए -321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त है।

एयरलाइन के द्वारा वर्तमान रनवे को कम से कम 900 फीट (274.32 मी.) और यदि संभव हो तो रनवे को 11000 फीट (3352.80 मी.) बढ़ाने की माँग होती रही है, जिससे अन्तराष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन संभव हो सके। साथ ही साथ उड़ानों की संख्या में वृद्धि होने के कारण तथा विशेषकर सुबह के समय उड़ानों की व्यस्त समय सारणी होने के कारण कभी कभी एप्रोन पर विमानों के लिए पार्किंग स्थल कम पड़ जाते हैं। अभी हाल ही में नए टर्मिनल बिल्डिंग के कारण वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बी-737-900/ए-321-200 (कोड-4सी) प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे और अन्य पेवमेंटो को अपग्रेड करने और अन्य सम्बद्ध कार्यों के साथ एप्रोन को विस्तारित करने का निश्चय किया गया है। रायपुर एयरपोर्ट रनवे का प्रस्तावित विस्तारीकरण, एप्रोन का प्रसार और सम्बद्ध कार्य, ई.आई.ए के नोटीफिकेशन 2006 के अंतर्गत अभिहित विकास है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अग्रिम पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भवन/निर्माण परियोजना/टाउनशिप और क्षेत्र विकास प्रोजेक्ट/ कोस्टल रेगुलेशन जोन, अभिसंरचना विकास और विविध प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ आकलन समिति की 19-21 मई 2015 को आयोजित 148 वीं मीटिंग में प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर विचार किया गया था और पत्रांक संख्या 10-6/2015/1-ए-III दिनांक 18 जून 2015 द्वारा कार्य निर्देश (Terms of Reference) स्वीकृत किया गया। ई.आई.ए और ई.एम.पी. रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्य निर्देश के अनुसार तैयार की गई है।

### 0.2 परियोजना का विवरण

#### 0.2.1 प्रस्तावित विस्तारीकरण का औचित्य

छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित एयरपोर्ट है। वर्तमान में पी.सी.एन 50/एफ/बी/डब्ल्यू/टी के साथ एयरपोर्ट के रनवे की परिमाण 2286 मी × 45 मी है, जोकि ए-320 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त है। क्योंकि लोकलाईज़र बिल्डिंग एप्रोन फनल में स्थित है, अतः रनवे 06 की देहली (सीमा रेखा) को 130 मी विस्थापित किया गया है। 06 रनवे एप्रोन की उपलब्ध लम्बाई 2186 मी है जिसमें विमानों का प्रचालन भार-दंड (Load Penalty) के अंतर्गत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप एयर लाइनों के द्वारा वर्तमान रनवे को कम से कम 900 फीट (274.32 मी) और यदि सम्भव हो तो रनवे को 11000 फीट (3352.8 मी) बढ़ाने की माँग होती रही है जिससे अन्तराष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन सम्भव हो सके। इसके साथ ही उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण तथा सुबह के समय उड़ानों की व्यस्त समय सारणी होने के कारण कभी-कभी नये एप्रोन पर विमानों के लिए पार्किंग स्थल कम पड़ जाते हैं। नये टर्मिनल बिल्डिंग के बन जाने के कारण, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बी-737-900/ए-321-200 (कोड-सी) प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे और अन्य पेवमेंटो को विस्तारित करने और अन्य सम्बद्ध कार्यों के साथ एप्रोन का प्रसार करने का प्रस्ताव किया है।

### 0.2.2 विस्तार और प्रसार का कार्य क्षेत्र (Scope of Work)

रनवे 06/24 को 24 की ओर 965 मी (3166 फुट)X45 मी (150 फुट) पी.सी.एन के साथ विस्तारित करके 3251 मी (10666 फुट)X45 मी (150 फुट) प्रचालन योग्य बनाया जायेगा जो कि बी 737-900/ ए-321-200 प्रकार के विमानों के उपयुक्त है।

- i. रनवे विस्तार के क्षेत्र, मूल पट्टी और अप्रोच फनल में आने वाली बाधाओं को हटाना.
- ii. विस्तारित रनवे के दोनों ओर 7.5 मी के रनवे शोल्डर का प्रस्ताव.
- iii. सल्वनक और डी.जी.सी.ए.आर के अनुसार कोड लैटर कैट -4 सी प्रकार के विमानों के टर्न पैड का प्रावधान.
- iv. वर्षा के जल को ड्रेनेज सिस्टम में सल्वनक 14 और डी.जी.सी.ए.सी.ए.आर के अनुसार, रनवे एप्रोन आर.ई.एस.ए और समतलीकरण, ग्रेडिंग रनवे विकास पट्टी को उचित ढलान प्रदान करना.
- v. ड्रेनेज सिस्टम में वर्षा जल की कार्ययोजना के अनुसार रनवे के दोनों ओर 240 मी × 90 मी के आर.ई.एस.ए का प्रावधान.

- vi. रनवे के पी.एस .एन मान की घोषणा तथा रनवे की मानक मार्किंग.
- vii. बाउंड्री दीवार का विस्तार करना जिससे नयी और पुरानी बाउंड्री दीवार बी.सी.ए.एस मानकों के अनुरूप हो.
- viii. ड्रेनेज के उद्देश्य से और केबिलों को क्रॉस करने के उद्देश्य से कोड 4 C प्रकार के विमानों के प्रचालन को सहने योग्य बॉक्स कल्वर्टों का निर्माण.
- ix. प्रस्तावित रनवे विस्तार के लिए उचित स्थान पर केबिल क्रॉसिंग के लिए आर.सी.सी ह्यूम पाईप का प्रावधान.
- x. आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक कार्यों और सी.एन.स. कार्य.
- xi. पूर्व की ओर दो अतिरिक्त कोड सी ए 321 -200/बी 737-900 विमानों की पार्किंग के लिए 81 मी × 88.5 मी के एप्रोन का विस्तार । वर्तमान एप्रोन और प्रस्तावित एप्रोन के दोनों टैक्सी वे को ए-321-200 प्रकार के विमानों के लिए डी.जी.सीए/आई.सी.ए.ओ के मानको के अनुरूप सामर्थ्य प्रदान करना । 3.5 मी चौड़े सोल्डर का प्रावधान । 2900 वर्ग मी के जी.एस.ई और कठोर क्षेत्र । ए -321-200 प्रकार के विमानों के लिए एकान्त में खड़े होने के लिए क्षेत्र.

सभी कार्य एरोड्रम डिजाईन मैनुअल पार्ट-II, आई.सी.ए.ओ, एस.ए.आर.पी. और डी.जी.सी.ए.आर के अनुसार किया जायेगा ।

### 0.2.3 प्रस्तावित प्रसार के लिए भूमि की आवश्यकता

वर्तमान एयरपोर्ट का कुल क्षेत्र 287.648 हेक्टेयर है. प्रस्तावित विस्तार के लिए अतिरिक्त 128.662 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है तथा इसे प्रस्तावित विस्तार हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया है ।

### 0.2.4 प्रस्तावित विस्तार के लिए भराव की आवश्यकता

वर्तमान रनवे और प्रस्तावित विस्तार स्थल के भूतल की समुद्रतल से ऊँचाई 304.4 मी से 317.5 मी है । रनवे के प्रस्तावित विस्तार और सम्बद्ध विकास कार्यों के लिए लगभग 7 लाख घन मी मिटटी के भराव की आवश्यकता होगी, जोकि एयरपोर्ट से 25 किमी दूर स्थित गोधी ग्राम / आरंग से प्राप्त की जाएगी ।

## 0.2.5 यूटिलिटी

### केन्द्रीय वातानुकूलन और बी.एम.एस

वर्तमान एयरपोर्ट पर वातानुकूलन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 300 टी.आर क्षमता के जल आधारित स्क्रू चिलर स्थापित किये गये हैं ।

एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग पर बिल्डिंग प्रबंधन सिस्टम (बी.एम.एस.) लगाया गया है ।

### विद्युत आवश्यकताएँ

वर्तमान एयरपोर्ट की विद्युत की कुल आवश्यकताएँ 1500 KW हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परिषद (CSEB) द्वारा प्रदत्त हैं । विद्युत की आपूर्ति के लिए एयरपोर्ट पर 750 केवीए क्षमता के दो डी.जी सेट स्थापित किये गये हैं जिन्हें विद्युत ग्रिड अवरोध की स्थिति में आवश्यकता अनुसार प्रचालित किया जाता है ।

### जल की कुल आवश्यकताएँ

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए जल की कुल आवश्यकताएँ 430 किलो लीटर हैं जिसमें से 100 कि.ली. जल प्रतिदिन एच.वी.ए.सी हेतु 50 कि.ली सी.एफ.टी के लिए तथा 280 कि.ली जल प्रतिदिन घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उपलब्ध ट्यूबवेल से जल की आपूर्ति की जाती है ।

### मलप्रवाह उपचार और निस्तारण

वर्तमान एयरपोर्ट पर एम.बी.बी.आर. प्रकार का 200 कि.ली क्षमता का मल उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (STP) स्थापित किया गया है जो एअरपोर्ट से उत्पन्न होने वाले मल उत्प्रवाह का उपचार / शोधन करता है । उपचार संयंत्र (STP) से उपचारित व्यर्थ जल को लैंड स्केपिंग और हरित पट्टी की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है ।

### वर्षा जल संग्रहण

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है । वर्षा जल संग्रहण हेतु स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 10000 घन मी जल संग्रहण हेतु 3600 वर्ग मी के कृत्रिम तालाब का निर्माण किया गया है।

### एयरपोर्ट पर पार्किंग की व्यवस्था

टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 500 अन्तरदेशीय यात्री तथा 500 अंतरराष्ट्रीय यात्री हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर 28 वी.आई.पी. कारों, 350 सामान्य कारों की पार्किंग, 150 दोपहिया वाहनों तथा 10 बसों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

## 0.3 पर्यावरण का विवरण

### स्थलाकृति एवं भू-आकृति

अध्ययन क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है तथा अधिकांशतः छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के उपरी स्तरीय और निम्न स्तरीय संरचनात्मक पठार के साथ त्रिकोणीय भूभाग से बनी है। अध्ययन क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 318 मी है।

### भू-गर्भ स्थिति

अध्ययन क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र महीन कणों से युक्त भूरे शैल, अपरिष्कृत पोर फाईरॉटिक ग्रेनाइट से बना है।

### मृदा की विशेषताएँ

क्षेत्र की मिट्टियाँ मध्यम रूप से गहरी केल्वेरियस, बहुत हल्के मैदानों पर क्लेयी प्रकार की मिट्टी के साथ मध्यम अपक्षरण युक्त जो थोड़ी गहरी, मध्यम रूप से अच्छी शुष्क, मध्यम अपक्षरण के साथ हल्की ढलानों पर क्लेयी प्रकार मिट्टियों से युक्त है।

### जल संसाधन

अध्ययन क्षेत्र में नाले और प्राकृतिक नदियाँ बहती हैं। क्षेत्र का सामान्य स्थानीय ढलान उत्तर की ओर है। अध्ययन क्षेत्र में कोई भी निरंतर बहने वाली नदी नहीं है। प्राकृतिक नदियाँ और नाले वर्षा के समय अपवाह को प्रवाह प्रदान करते हैं।

### जल की गुणवत्ता

अध्ययन क्षेत्र की जल गुणवत्ता वाँछनीय सीमा के अन्दर है। अध्ययन क्षेत्र के जल के नमूनों की गुणवत्ता पीने के लिए उपयुक्त पाए गये हैं।

## सूक्ष्म मौसम विज्ञान

अधिकतम दैनिक 42 डिग्री तापक्रम और 13.2 डिग्री न्यूनतम तापक्रम के साथ दिसम्बर ठंडा महीना है। मानसून के आगमन के बाद तापक्रम तेजी से गिरता है। मानसून का काल सामान्यतः सुहाना होता है। सितम्बर महीने में मानसून के बाद दिन का तापक्रम अक्टूबर में थोड़ा बढ़ता है। नवम्बर महीने में दिन और रात का तापक्रम तेजी से गिरता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, आद्रता अधिकतम होती है। गर्मी साल का सबसे शुष्क भाग होता है तथा दोपहर के समय आद्रता 23-24% होती है।

रायपुर आईएमडी स्टेशन पर, पवन की औसत गति 6.9 किमी प्रति घंटा होती है। अधिकतम औसत मासिक पवन की गति जून में 10.9 किमी प्रति घंटा होती है। जबकि दिसंबर माह में पवन की गति 3.2 किमी होती है।

## परिवेशी वायु की गुणवत्ता

परिवेशी वायु की गुणवत्ता का मापन PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, O<sub>3</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, BaP, Pb, As, Ni और CO पैरामीटरों के लिए 6 स्थानों पर पोस्ट मानसून सीजन में किया गया। औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय ग्राम्य क्षेत्रों के लिए, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, पोस्ट मानसून सीजन में सभी मानीटरिंग स्थानों पर विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर पायी गई।

## शोर का स्तर

शोर के स्तर का मापन 6 स्थानों पर किया गया। मापे गये दिन और रात के स्तर तुल्यांक विनिर्दिष्ट सीमा के अन्दर है।

## स्थलीय परिस्थैतिकी

एयरपोर्ट डेकन बायोग्राफिक क्षेत्र में स्थित है और परिक्षेत्र में सम्बद्ध और अनुपम जैविक विविधता का महत्वपूर्ण भाग अवस्थित है। एयरपोर्ट के 10 किमी क्षेत्र में जंगल नहीं है। एयरपोर्ट के 10 किमी क्षेत्र में मुख्यतः शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र आता है, अतः क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ मुख्यतः सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, खेतों, भवनों पार्को में किया गया वृक्षा रोपण किया गया है। सामाजिक वानिकी वृक्षा

रोपण के अंतर्गत यूकेलिप्टस, नीम, पलास, बबूल, खैर, जामून, सिरस, महुआ और शीशम आदि मिलते हैं। खुली व्यर्थ भूमि पर आमतौर पर बबूल की प्रजातियां पायी जाती हैं।

### **वन्यजीव**

क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा स्थानीय लोगों और वन विभाग के द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर 10 किमी अध्ययन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण वन्य जीव दुर्लभ हैं।

### **दुर्लभ, विलुप्त प्राय, संकटमय प्रजातियाँ**

10 किमी के अध्ययन क्षेत्र में कोई भी वनस्पति या वन्यजीव प्रजातियां दुर्लभ, विलुप्त प्राय या संकटमय श्रेणी में नहीं आती हैं।

### **सामाजिक आर्थिक पर्यावरण**

2011 की जनगणना के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र की बसावट में कुल 255304 घर हैं।

### **जनसंख्या**

जनगणना आकड़ों के अनुसार, अध्ययन क्षेत्र की आबादी में कुल 1208639 व्यक्ति हैं। इस आबादी में पुरुषों की संख्या 51.26 % है जबकि महिलाओं की संख्या 48.74 % है।

### **लिंगानुपात**

जनगणना के आकड़ों के अनुसार, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात 951 है

### **अनुसूचित जाति**

अध्ययन क्षेत्र में, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या 14.83 % है, जिसमें 14.55 % पुरुष और 15.13 % महिलाओं अनुसूचित जाति की हैं।



### अनुसूचित जनजाति

अध्ययन क्षेत्र में, अनुसूचित जन जातियों की व्यक्तियों जनसंख्या 4.41 % हैं जिसमें 4.39 % पुरुष एवं 4.42 % महिलाओं हैं ।

### साक्षरता

अध्ययन क्षेत्र में साक्षरों की संख्या 73.19 % हैं, पुरुषों में 78.1 % साक्षर हैं जबकि महिलाओं में 67.97 % साक्षर हैं ।

### रोजगार पद्धति

रोजगार पद्धति विभिन्न सेक्टरों में रोजगार प्राप्त किये व्यक्तियों संख्या का संकेतक है । साथ ही यह क्षेत्र में रोजगार की विभिन्न श्रेणियों का सूचक भी है ।

अध्ययन क्षेत्र में, मुख्य कामगार कुल जनसंख्या का 33.13 % (50.51 % पुरुष एवं 14.85 % महिलाएं) हैं जबकि गैर कामगार 63.11% (45.42% पुरुष एवं 81.60 महिलाएं) है । सीमान्तक कामगार 3.76 % (3.96 % पुरुष एवं 3.55 % महिलाएं) हैं । कुल कामगारों में, कृषक कामगार हैं । अन्य कामगार 92.15 % जबकि कृषि श्रमिक 4.86 % और कृषक 2.99 % हैं ।

## 0.4 सम्भावित पर्यावरणीय प्रभाव एवं रोकथाम उपाय

### स्थलाकृति एवं आकारकृति

क्षेत्र की स्थलाकृति समतल है । समोच्च आयोजना के (Contour Plan) अनुसार स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के वर्तमान रनवे और प्रस्तावित विस्तार स्थल की समुद्रतल से ऊँचाई 304.4 मी से 317.5 मी है । रनवे विस्तार के लिए मिट्टी भरने और समतलीकरण की आवश्यकता होगी । ऐसा आंकलन है कि प्रस्तावित रनवे विस्तार और अन्य सम्बद्ध विकास कार्यों हेतु लगभग 7 लाख मिट्टी की आवश्यकता होगी जिसे लगभग 25 किमी की दूरी पर स्थित गोधी ग्राम या आरंग से वैध मिट्टी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

यह स्पष्ट है कि स्थलाकृति पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट का प्रभाव केवल प्रस्तावित 965 मी × 45 मी के रनवे के निर्माण स्थल तक ही सिमित रहेगा जोकि कुल अध्ययन क्षेत्र की तुलना में बहुत ही कम है ।

### रोकथाम के उपाय

- निर्माण स्थल पर भूमि की सफाई को न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र तक सीमित रखा जायेगा ।
- निर्माण का अभिकल्पन ऐसा होगा जिससे मिट्टी के भराव को न्यूनतम किया जा सके ।
- बाँरो मिट्टिया केवल गोधी गाँव/आरंग के वैध बाँरो क्षेत्रों से ही प्राप्त की जाएगी ।

### भू-उपयोग पद्धति

रायपुर एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार, एप्रोन का प्रसार और अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए 128.662 हेक्टेयर भूमि की आवश्यक्ता है जिसे छत्तीसगढ़ शासन के नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एन.आर.डी.) ने अधिग्रहित करके, प्रस्तावित रनवे विस्तार और सम्बद्ध कार्यों हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया है ।

रायपुर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित रनवे विस्तार और सम्बद्ध कार्यों हेतु 128.662 हेक्टेयर भूमि का उपयोग सदैव के लिए परिवर्तित हो जायेगा, यद्यपि यह प्रभाव स्थानीय होगा ।

### रोकथाम के उपाय

- निर्माण के लिए भूमि की सफाई को न्यूनतम रखा जायेगा ।
- प्रस्तावित रनवे विस्तार के लिए मिट्टी की भराई को न्यूनतम रखा जायेगा ।
- निर्माण के समय उत्पन्न होने वाले अवशेष और व्यर्थ पदार्थों को समय-समय पर एकत्रित किया जायेगा तथा लागू होने वाले नियमों के अनुरूप उचित पर्यावरणीय रीति से निस्तारित किया जायेगा ।

### जल संसाधन

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर जल की कुल आवश्यकता 430 किली है । जिसमें 100 किली प्रतिदिन जल एच.वी.ऐ.सी हेतु, 50 किली प्रतिदिन पानी सी.एफ.टी और 280 किली, घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक है जोकि रनवे के विस्तार एवं सम्बद्ध कार्यों के उपरान्त भी समान रहेगा । एयरपोर्ट से उत्पन्न होने वाले व्यर्थ जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में उपचारित किया जाता है तथा उपचारित जल को लैंड स्केपिंग तथा हरित पट्टी की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है ।

रनवे के विस्तार के उपरान्त भी जल की आवश्यकता समान ही रहेगी ।

### रोकथाम के उपाय

- कम जल उपयोग वाले सिस्टर्न के उपयोग के द्वारा जल की आवश्यकताओं को कम करने के निरन्तर प्रयास किये जायेंगे ।
- जल के अपव्यय और रिसाव को रोकने के प्रयास किये जाते रहेंगे ।
- वर्षा जल एकत्रीकरण टैंकों के द्वारा वर्षा जल संग्रहण के उपायों का प्रस्ताव

### जल की गुणवत्ता

रायपुर एयरपोर्ट प्रचालन के समय उत्पन्न होने वाला व्यर्थ जल 180 किलो लीटर प्रतिदिन है जोकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उपचारित किया जाता है । उपचार के उपरान्त उपचारित जल का उपयोग लैंड स्केपिंग हरित पट्टी के विकास हेतु किया जाता है । उपचारित व्यर्थ जल को एयरपोर्ट के बाहर निस्तरित नहीं किया जाता है ।

### रोकथाम उपाय

- व्यर्थ जल का एकत्रीकरण तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में व्यर्थ जल का उपचार
- ईंधन तेल और टयूब तेलों के रिसाव से बचाव तथा इनका कंक्रीट तल पर भंडारण करना ।
- ठोस अपशिष्ट का एम.एस.डब्ल्यू नियम 2000 के अनुरूप एकत्रीकरण तथा निस्तारण .
- एस.टी.पी से उपचारित व्यर्थ जल का नियमित परीक्षण एवं विश्लेषण, जिससे कि एस.टी.पी की उपचार क्षमता और विसर्जन मानको का पालन सुनिश्चित किया जा सके ।

### मृदा

वर्तमान रायपुर एयरपोर्ट पर 150 किग्रा ठोस अपशिष्ट कूड़ा प्रतिदिन उत्पन्न होता है । जिसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग) रूल 2000 के अनुसार बाह्य एजेन्सी द्वारा एकत्रित, प्रथक्कृत और निस्तरित किया जाता है । इसलिए, मृदाओं पर प्रभाव असार्थक होगा । क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट पर ठोस कूड़ा एकत्रिकरण और निस्तारण की व्यवस्थित विधि उपयोग में लायी जा रही है ।

## रोकथाम के उपाय

- कूड़ेदानों को एयरपोर्ट पर युक्तिसंगत स्थानों पर रखा गया है ।
- म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम 2000 के अनुसार ठोस कूड़े को एकत्रित और प्रथककृत करके निस्तरित करने हेतु बाह्य एजेंसी को नियुक्त किया गया है ।
- एयरपोर्ट से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट (कूड़े) को बंद कंटेनरों में परिवहित किया जाता है । उपयोग किये गये व्यर्थ तेलों और तेल से सन्दूषित कपड़ों को अलग से कंटेनर में एकत्रित किया जाता है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा अधिकृत पुनः चक्रण एजेंसी को बेच दिया जाता है ।

## परिवेशी वायु गुणवत्ता

वर्तमान रायपुर एयरपोर्ट के प्रचालन एवं रनवे और एप्रोन के विस्तार के उपरान्त रेफरेन्स ललैंडिंग और टेकऑफ साईकिल (LTO), जिसमें अप्रोच, लैंडिंग,टेक्सिंग, टेक ऑफ और इनिशियल क्लम्ब शामिल है के द्वारा विमानों के इंजन से असतत वायु उत्सर्जन होते हैं । आईसी.ए.ओ के अनुसार विमानों से होने वाले उत्सर्जन में मुख्यतः सल्फर डाई ऑक्साइड, बिना जले हाइड्रोकार्बन (HC), कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड शामिल है ।

रायपुर एयरपोर्ट पर विद्युत आपूर्ति के लिए 4 डी.जी. सेट 750 केवीए क्षमता के तथा 2 डी.जी. सेट 320 केवीए क्षमता के उपलब्ध हैं जोकि प्रस्तावित विस्तार के बाद भी पर्याप्त होंगे । डी.जी सेट ग्रिड विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में विद्युत आवश्यकताओं के आपूर्ति के लिए ही चलाये जाते हैं ।

रायपुर एयरपोर्ट पर वाहन उत्सर्जन मुख्यतः ग्राउंड सपोर्ट वाहनों यात्रियों के पिकअप और डापिंग के लिए एयरपोर्ट आने वाले वाहनों के कारण होते हैं । ये वाहन मुख्यतः पेट्रोल और डीजल द्वारा प्रचालित होते हैं तथा ये कार्बन मोनो ऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन (HC) और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड (NO<sub>2</sub>) के उत्सर्जन के मुख्य स्रोत होते हैं ।

वर्तमान एयरपोर्ट से होने वाले वायु उत्सर्जन के सम्भावित प्रभावों का अनुमान करने के लिए विमानों के एल.टी.ओ., डीजी सेट और वाहनों से होने वाले उत्सर्जनो का

आकलन करना आवश्यक है। विभिन्न उत्सर्जन स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन के उत्सर्जन भार का आकलन किया गया है तथा निचे दिया गया है:

स्रोत	प्रदूषको की उत्सर्जन दर (g/c)			
	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	HC
विमान	1.86	29.40	14.81	2.17
डी.जी. सेट	0.248	0.278	--	--
वाहन	--	4.17	1.75	1.33
कुल	<b>2.108</b>	<b>33.848</b>	<b>16.56</b>	<b>3.5</b>

रायपुर एयरपोर्ट पर उत्सर्जन का कोई सतत स्रोत नहीं है। एयरपोर्ट की उड़ान ने तथा वाहनों का अवागमन निरन्तर नहीं होता है। डी.जी सेट भी असतत रूप से ग्रिड पावर बाधित होने की दशा में ही चलाये जाते हैं।

मानसून के बाद के सीजन में, अल्प अवधि अधिकतम २४ घण्टे सतही स्तर के सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड के सान्द्रण में सम्बृद्धि क्रमशः 6.52 और 7.43 माइक्रोग्राम ही होगी।

अधिकतम सतही सान्द्रण (GLC) रायपुर एयरपोर्ट से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 0.7 की.मी की दूरी पर प्रात होंगे। क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट प्रचालन की स्थिति में है अतः SO<sub>2</sub> एवं NO<sub>2</sub> के लिए अधिकतम सम्बृद्धि जी.एल.सी, आधार भूत परिवायु गुणवत्ता में सम्मिलित है। रायपुर एयरपोर्ट के आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अन्दर है।

### रोकथाम के उपाय

- विमानों के प्रचालन में निरोधक अनुरक्षक और मोनिटरिंग के द्वारा आ.सी.ए.ओ द्वारा सभी विनिर्दिष्ट मानको का अनुपालन.
- डी.जी सेटो पर चिमनी की उचाई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रदान की गई है।
- ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, उपयुक्त ट्रैफिक प्रबंधन प्लान तैयार किये गये हैं। इससे वाहनों के उत्सर्जन को रोकने में सहायता मिलती है।
- एयरपोर्ट के आसपास परिवेशी वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए हरित पट्टी एवं लैंड स्केपिंग का विकास किया गया है।

- मानिट्रिंग प्लान के अनुसार परिवेशी वायुगुणवत्ता/स्रोत उत्सर्जन मानिट्रिंग की जाएगी ।

## शोर स्तर

रायपुर एयरपोर्ट के प्रचालन चरण में विभिन्न प्रकार के विमानों की लैंडिंग, टेक ऑफ और टैक्सिंग वायु उत्सर्जन के मुख्य स्रोत होंगे । शोर के प्रभाव का आकलन करने के लिए आई.एन.एम मॉडल से रायपुर एयरपोर्ट पर विमानों से होने वाले शोर के स्तरों की मॉडलिंग की गई है ।

65 से 85 dB (A) के शोर स्तर रायपुर एयरपोर्ट की सीमा के अन्दर ही सीमित रहेंगे । 55 dB (A) के शोर स्तर एयरपोर्ट की बाउन्ड्री को पार कर जायेंगे तथा एयरपोर्ट के बाहर 2.3 वर्ग किमी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं लेकिन एयरपोर्ट की बाउन्ड्री के समीप कोई भी आबादी नहीं है ।

रायपुर एयरपोर्ट से 1.9 से 5.17 किमी की दूरी पर स्थित बसाबट में आधार भूत शोर स्तर 49.5 से 53.7 dB (A) की परास में है । क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट पहले से ही प्रचालन में है, अतः एयरपोर्ट पर विमान प्रचालन वाले शोर स्तर आधार भूत शोर स्तरों में शामिल है । यद्यपि वर्तमान रायपुर एयरपोर्ट के आस पास शोर के स्तरों की रोकथाम के उपाय किये जायेंगे जिससे निकटवर्ती आबादी क्षेत्रों में शोर के स्तर और कम हो जायेगे ।

## रोकथाम के उपाय

- विमानों के प्रचालन में निरोधक अनुरक्षण और मोनिटरिंग के द्वारा आई.सी.ए.ओ द्वारा सभी विनिर्दिष्ट मानको का अनुपालन ।
- ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उपयुक्त ट्रैफिक प्रबन्धन प्लान तैयार किये गये हैं जिससे एयरपोर्ट पर वाहनों से होने वाले शोर स्तर में कमी आती है ।
- डी.जी सेट पर एकास्टिक एनक्लोजर लगाये गये हैं ।
- टर्मिनल बिल्डिंग ध्वनी रोधी बनाई गई है ।
- जिन ग्राउंड स्टाफ को एयरक्राफ्ट के पास कम करना होता है उन्हें ईयर प्लग का उपयोग करता है ।
- लैंड स्केपिंग और एयरपोर्ट की बाउन्ड्री वाल, शोर के लिए अवरोध का कार्य करती है ।

- निकटवर्ती बसावट में हरित पट्टी का विकास ।
- मॉनिटरिंग प्लान के अनुसार परिवेशी शोर का मापन किया जायेगा ।

### ट्रैफिक प्रबंधन

रायपुर एयरपोर्ट, रायपुर शहर से 10 किमी दूरी पर नया रायपुर के पास स्थित है । रायपुर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का प्रबंधन इस प्रकार किया गया है कि एयरपोर्ट पर पिकअप और ड्रापिंग वाले वाहनों का जाम नहीं लगता है । एयरपोर्ट के आगमन और प्रस्थान पर ट्रैफिक का उचित प्रबंधन होता है । अतः प्रस्तावित रनवे विस्तार के उपरान्त रायपुर एयरपोर्ट पर ट्रैफिक जाम होने की सम्भावना नहीं है ।

### रोकथाम के उपाय

- सभी वाहन, निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क किये जाते हैं ।
- सड़क क्रॉसिंग को अच्छे ढंग से मार्क किया गया है ।
- सूचनात्मक एवं चेतावनी देने वाले साइनेज रिट्रोरेफ्लेक्टिव प्रकार के हैं जो रात में स्पस्ट दिखाई देते हैं ।
- रायपुर एयरपोर्ट पर वाहनों को दिशा निर्देशित करने के लिए मार्शल तैनात किये गये हैं, जो आगमन और प्रस्थान पर आने वाले वाहनों को ट्रैफिक जाम से बचाते हैं ।

### स्थलीय परिस्थैतिकी

रायपुर एयरपोर्ट पर हरित पट्टी और लैंड स्केपिंग विकसित की गयी है । हरित पट्टी की सिंचाई के लिए एस.टी.पी उपचारित जल और वर्षा का एकत्रित जल उपलब्ध होता है । यह क्षेत्र की स्थलीय परिस्थैतिकी पर दीर्घ अवधि के लिए सकारात्मक प्रभाव है । रनवे के विस्तारीकरण के बाद हरित पट्टी और लैंड स्केपिंग में वृद्धि होगी ।

### रोकथाम के उपाय

- रनवे के विस्तार के बाद लैंड स्केपिंग / वक्षारोपण ।
- हरित पट्टी की वृद्धि होगी ।
- वृक्षों में स्थानीय प्रजातियों का रोपण किया जायेगा ।

### धरोहर संरचनाएँ

एयरपोर्ट के आस पास किसी किसी प्रकार की धरोहर, एतिहसिक और पुरातत्विक संरचना नहीं है ।

### **सामाजिक आर्थिक पर्यावरण**

रनवे के विस्तार और सम्बद्ध विकास कार्यों के बाद रायपुर एयरपोर्ट प्रचालन के दौरान, क्षेत्र और परिक्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे । साथ ही यह क्षेत्र में अधिक से अधिक पर्यटन, व्यावसायिक और विकास कार्यों को आकर्षित करेगा क्योंकि रनवे के विस्तार के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर अन्तरराष्ट्रीय उड़ाने भी लैंड करेंगी । विस्तार के प्रचालन चरण में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव आपेक्षित है ।

### **रोजगार एवं आर्थिक वृद्धि**

रायपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार और सम्बद्ध विकास कार्यों के बाद, अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों के आने के बाद पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी । इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों, राजस्व में वृद्धि तथा व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, अतः क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

### **विकल्पों के विश्लेषण**

रायपुर एयरपोर्ट प्रचालित एयरपोर्ट है, इसलिए रनवे के विस्तार के लिए भूमि एयरपोर्ट के पास होना आवश्यक है ।

रनवे विस्तार के लिए अतिरिक्त 128.662 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है, जो नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को रनवे के विस्तार के लिए हस्तांतरित की गई है ।



### **पर्यावरण मॉनिटरिंग योजना**

रायपुर एयरपोर्ट पर रनवे, एप्रोन के प्रसार, उससे सम्बद्ध कार्यों के निर्माण और प्रचालन चरण के समय प्रभावी रोकथाम उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और लागू करने एवं रोकथाम उपायों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, मृदा की विशेषताओं और शोर स्तर मापन के लिए पर्यावरण मॉनिटरिंग योजना तैयार की गयी है।

यदि मॉनिटरिंग पैरामीटर विनिर्दिष्ट मानकों की सीमा से अधिक पाए जाते हैं तो उपयुक्त रोकथाम उपाय किये जायेंगे।

रायपुर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्यों के निर्माण एवं प्रचालन चरण के दौरान पर्यावरण मॉनिटरिंग का अनुमानित बजट रूपये 0.16 करोड़ रखा गया है।

### **संकट मूल्यांकन और आपदा प्रबन्धन योजना**

रायपुर एयरपोर्ट पर ए.टी.एफ. ईंधन के भंडार, ए.टी.एफ. को विमान में भरने के समय आग लगना, ए.टी.एफ. का रिसाव होना, डी.जी. सेट के डे टैंक से डीजल का रिसाव होना और उसमें आग लगने से, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो टर्मिनल एवं विमान में बम का खतरा होना और प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि के कारण संकट उत्पन्न हो सकता है। अन्य परिघटनाएँ जिनसे रायपुर एयरपोर्ट पर आपदा की स्थिति हो सकती है, जैसेकि बाहरी लोगों के समूह का बलपूर्वक तरीके से रायपुर एयरपोर्ट में प्रवेश करना, तोड़फोड़ करना, हवाई हमला होना, विमान का लैंडिंग या टेक ऑफ के समय दुर्घटनाग्रस्त होना, आदि।

रायपुर एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए, एयरपोर्ट आपरेटर, अन्य सहायक संगठन/एजेंसी/सेवाओं के मुख्य कार्यों और दायित्वों को परिभाषित करते हुए आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार की गयी है।

### **प्रोजेक्ट के लाभ**

रायपुर एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, एप्रोन के विस्तार और सम्बद्ध विकास कार्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ इस प्रकार हैं:

### **प्रत्यक्ष लाभ**

- बी 737-900/ ए 321 -200 (कोड- 4सी) प्रकार के विमानों का प्रचालन ।
- रायपुर एयरपोर्ट पर अन्तरराष्ट्रीय फ्लाइटों का आना जाना ।
- पर्यटन और व्यवसायिक गतिविधि बढ़ने से क्षेत्रीय अर्थ-व्यवस्था में बढ़ोतरी होगी।
- राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, अतः क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास होगा ।

### दीर्घ-स्तर लाभ

- लोगो को रोजगार के अवसर ।
- अधिक व्यापार और औद्योगिक सम्बन्धी अवसर ।

### पर्यावरण प्रबंधन कार्ययोजना

रायपुर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित विकास कार्यों के प्रचालन के लिए सुझाये गये रोकथाम उपायों के क्रियान्वन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी होगा ।

रायपुर एयरपोर्ट पर निर्माण एवं प्रचालन चरण में क्रियान्वित किये जाने वाले उपायों की देख रेख के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ होगा ।

पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ, सहायक महाप्रबंधन के आधीन रहेगा और पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को ऐसे शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा, जो पर्यावरण प्रबंधन में नियमों का पालन, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण मॉनिटरिंग, प्रदूषण नियंत्रक उपयंत्रों का निरोधक अनुरक्षण, हरित पट्टी के विकास एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व वहन कर सके ।

पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ पर्यावरण स्वीकृति और स्थापना के लिए सहमति (CTE) में विनिर्दिष्ट निर्धारित शर्तों का क्रियान्वन एवं अनुपालन करेगा ।

प्रकोष्ठ जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड से एयरपोर्ट के लिए प्रचालन सहमति प्राप्त (CTO) करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

रायपुर एयरपोर्ट के निर्माण एवं प्रचालन कार्यों के समय स्थानीय लोगों द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभावों से जुड़ी परिवेदना एवं शिकायतों को समयबद्ध सीमा और संतोषजनक ढंग से निराकरण करने के सभी सम्भव प्रयास करने हेतु परिवेदना निवारण तंत्र गठित किया जायेगा । पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ, परिवेदना निवारण प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करेगा ।

### पर्यावरण प्रबंधन एवं पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए बजट

वर्तमान रायपुर एयरपोर्ट पर प्रस्तावित कार्य के निर्माण एवं प्रचालन चरण के रोकथाम उपायों और पर्यावरण प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियार्यान्वन हेतु रुपये 1.2 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है ।

**F.No.10-6/2015-IA.III**  
 Government of India  
 Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
 (IA.III Section)

Indira ParyavaranBhawan,  
 Aliganj, JorBagh Road,  
 New Delhi - 3

Dated: 14<sup>th</sup> July, 2016

To

**Shri N R Dhekate, AGM ( Engg.-Civil)**  
**M/s Airports Authority of India (AAI)**  
 Swami Vivekananda Airport Authority of India,  
 Man Raipur District Raipur Chhattisgarh.



E-mail: raipurairport@gmail.com ; fax.: +0771-2418700

**Sub: Extension of Runway at 24 Beginning, Expansion of Apron Suitable for D type of Aircraft and other associated works at Swami Vivekananda Airport at Raipur, Chhattisgarh by Airports Authority of India (AAI) – Amendment in ToR**

**Ref.: Your online proposal no. IA/CG/MIS/26951/2015 dated 25.04.2016.**

Sir,

This has reference to your online proposal no. IA/CG/MIS/26951/2015 dated 25.04.2016 regarding above mentioned subject. It is noted that MoEF&CC vide letter no. 10-6/2015-IA III dated 18<sup>th</sup> June, 2015 has issued TOR for preparation of EIA report for extension of Runway at 24 Beginning, Expansion of Apron Suitable for D type of Aircraft and other associated works at Swami Vivekananda Airport at Raipur. Now, following modifications have been proposed in the scope of work:

S.N.	As submitted earlier and mentioned in ToR letter	Modified Final Scope of Work
1	Extension of Runway at 24 Beginning, Expansion of Apron Suitable for <b>D Type</b> of Aircraft and other associated works at Swami Vivekananda Airport at Raipur, Chhattisgarh by Airports Authority of India.	Extension of Runway at 24 Beginning, Expansion of Apron Suitable for <b>C Type</b> of Aircraft and other associated works at Swami Vivekananda Airport at Raipur, Chhattisgarh by Airports Authority of India.
2	Extension of Runway Suitable for A 310-200 (Code D) Type Aircraft	Extension of Runway Suitable for <b>B-737-900/A-310-200 (Code C) Type Aircraft.</b>
3	The extension of runway of will have the provision of construction of new isolation bay of size 91 m x 77 m suitable for A 310-200 (code D) type of aircraft including 7.5 m wide shoulders.	Isolation bay to be suitable for <b>B-737-900/A-310-200 (Code C)</b> of Aircraft.
4	Expansion of apron	Expansion of apron on east side by 81 m x 88.5 m to park two additional <b>Code '4C'</b> type of Aircraft i.e. A321-200/B737-900.

**CE(VC) / ACE(R/L)**  
**SE(B/M/S) / EE / OC**  
**PRO / SO(A/C) / Stf.O / SO-VII**

**MEMBER SECRETARY**

SIE RL  
 04/08/16

S E (M)  
 21/7/16  
 21/7/16


b307

2.0 The proposal was considered by the Expert Appraisal Committee (Infra-2) in its 6<sup>th</sup> meetings held on 23<sup>rd</sup> – 24<sup>th</sup> May, 2016 and the Committee recommended the proposal for amendment in TOR.

3.0 The Ministry accepts the recommendation of the Expert Appraisal Committee (Infra-2) for amendment in the existing TOR. The existing ToR alongwith public hearing will remain same.

4.0 All the conditions will remain unchanged.

5.0 This issues with the prior approval of the Competent Authority.

  
(A.N. Singh)  
Scientist 'D'

Copy to:

1) Additional Principal Chief Conservator of Forests (C), Ministry of Environment & Forests, Regional Office, E-5, Arera Colony, Link Road -3, Bhopal -462 016, M.P.

2) The Chairman, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Commercial Complex, Chhattisgarh Housing Board Colony, Kabir Nagar, Raipur(C.G.)

11/05/2016  
11/05/2016